न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–156/2016
GCMS NO:- 2016/00171

दायर दिनांकः 08.11.2016
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. रामदेव आ0 ईशर जाति माली नि. वार्ड नं. 12 शिवपुरी कॉलोनी नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
2. दुर्गा आ0 ईशर जाति माली नि. वार्ड नं. 12 शिवपुरी कॉलोनी नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

– वादीगण

बनाम

1. महेश कुमार आ0 अम्बालाल जाति गुर्जर नि0 नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
2. महेन्द्र आ0 अम्बालाल जाति गुर्जर नि0 नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
3. भूरा आ0 नन्दा जाति माली नि0 नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
4. राजेश आ0 डाल्या नाबालिग जर्ये संरक्षक माता नन्दू जाति माली नि0 नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
5. बंशी आ0 डाल्या नाबालिग जर्ये संरक्षक माता नन्दू जाति माली नि0 नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
6. नन्दू बेवा डाल्या जाति माली नि0 नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
7. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एवं 188 आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।
प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गुर्जर।

निर्णय दिनांक 26.06.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि नैनवॉ द्वितीय तहसील नैनवॉ मे जमाबन्दी संवत् 2068–2071 के खसरा नम्बर 2104, 2106, 2107, 2119 व 2120 कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि मे वादीगण व प्रतिवादीगण 3 लगायत 6 के मध्य मौके पर बाहरी विभाजन हो रहा है तथा विभाजनानुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज होकर कृषि करते चले आ रहे है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण 3 लगायत 6 के खातेदारी व आधिपत्य की भूमि के पास ही प्रतिवादीगण 1 व 2 की खातेदारी व आधिपत्य की भूमि स्थित है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण 3 लगायत 6 अपनी खातेदारी व आधिपत्य की भूमि पर सिवायचक भूमि पर होकर प्रतिवादी संख्या 1 महेश कुमार की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2108 की दक्षिणी मेर पर होकर उत्तरी मेर के सहारे सहारे अपनी उक्त खातेदारी की भूमि पर आते जाते व कृषि उपकरणों को लाने व ले जाने के लिए भूमि को रास्ते के रूप मे उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं जिसको परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है।

यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादीगण से रंजिश रखते है तथा आये दिन वादीगण को नुकसान कारित करने के फिराक मे रहते है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने दिनांक 1.11.2016 को सरकारी भूमि व अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2108 की भूमि के दक्षिणी व उत्तरी साईड मे तारवंदी कर वादीगण के खातेदारी व आधिपत्य की भूमि पर पहुंचने के रास्ते को बंद कर दिया और कहा कि यहां कोई रास्ता नही है तथा ना ही राजस्व नक्शे मे तरमीम है अब हम तुम्हे यहां से नही निकलने देंगे। तुम्हे करना हो सो कर लेना। यही वाद प्रस्तुत करने का कारण है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये के प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादीगण को वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर पहुंचने के लिए नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाये रास्ते मे होकर आने जाने व कृषि उपकरणों को लाने ले जाने मे बाधा उत्पन्न नही करें ओर ना ही किसी ओर से करावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गुर्जर द्वारा वकालातनामा व जवाब वाद पत्र पेश किया गया।

आज दिनांक 26.06.2026 को हमने वाद पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि वादीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 2104, 2106, 2107, 2119 व 2120 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ